Result Mitra Daily Magazine

FTI- TTP

हालिया सन्दर्भ :

- हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल- 3 पर 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानि 'FTI- TTP" प्रणाली का उद्घाटन दिया।
- गृह मंत्री ने कहा कि यह प्रणाली जल्द ही मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद सहित अन्य 13 हवाई अड्डों तक प्रसारित की जाएगी।
- वर्तमान में यह सुविधा सिर्फ भारतीय नागरिकों एवं OCI कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध होगी।

क्या है FTI-TTP प्रणाली -

- गृह मंत्रालय के अनुसार, यह प्रणाली यात्रियों के बायोमैट्रिक्स को संग्रहित कर डेटाबेस में रखेगा, जिसका उपयोग यात्रियों के real time (वास्तविक समय) सत्यापन के लिए किया जाएगा।
- यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि यात्रियों के आवागमन में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप हो।
- गृह मंत्रालय के अनुसार यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
- यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, जो तेज, सुगम और सुरक्षित आव्रजन निकासी के लिए महत्वपूर्ण होगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य स्वचालित द्वारों (इलेक्ट्रॉनिक गेट) के माध्यम से जांचे गए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए त्वरित आव्रजन निकासी के माध्यम से विश्व स्तरीय आव्रजन निकासी सुविधाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान एवं सुरक्षित बनाना है।

कैसे काम करेगा यह प्रणाली -

- गृह मंत्रालय के अनुसार FTI-TTP प्रणाली को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया जायेगा।
- इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणीयों के आव्रजन को तेजी से ट्रैक करने के लिए आव्रजन ब्यूरो (Immigration Bureau) नोडल एजेंसी होगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर पंजीकरण (Registration) करना होगा तथा अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 'विश्वसनीय यात्रियों' की एक सूची तैयार होगी, जिसे स्वचालित द्वारों (इलेक्ट्रॉनिक गेट) पर भेजा जाएगा।
- विश्वसनीय यात्रियों के बायोमैट्रिक्स की विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या हवाई अड्डे से गुजरते समय संग्रहित (capture) किया जाएगा।

Result Mitra

- इस प्रक्रिया के तहत, जैसी ही पंजीकृत यात्री स्वचालित गेट पर अपना बोर्डिंग स्कैन करेंगे, तत्काल उनका पासपोर्ट एवं बायोमैट्रिक्स को स्कैन कर प्रमाणित किया जाएगा और पहचान सत्यापित होते ही स्वचालित गेट अपने-आप खुल जाएगा और इमिग्रेशन क्लियरेंस दिया हुआ माना जाएगा।

पंजीयन की वैधता -

- एक बार रजिस्ट्रेशन किए जाने के बाद इसकी वैधता 5 साल या पासपोर्ट की वैधता, जो भी कम हो, तक रहेगी।
- अर्थात पंजीकरण की अधिकतम वैधता 5 वर्ष होगी।

- यात्रिओं द्वारा पंजीकरण को नवीनीकृत (Renewable) कराये जाने की सुविधा होगी।

OCI यानि overseas citizen of india -

- गृह मंत्रालय ने OCI उसे माना है :- जो,

1. 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत का नागरिक था,
2. 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक बनने योग्य था।
3. या वह उपरोक्त दोनों श्रेणियों में से किसी एक में शामित व्यक्ति की संतान या पोता-पोती (grand child) है तथा अन्य मानदाण्डों को भी पूरा करता है।
4. वह 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल किए गए किसी भाग का निवासी हो।

- OCI कार्ड नियमानुसार, यदि व्यक्ति या उसके माता-पिता या दादा-दादी, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे तो उसे OCI कार्ड प्राप्त नहीं होगा।
- उपरोक्त प्रावधान 2005 में जोड़ा गया था।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015 के द्वारा भारत सरकार ने OCI श्रेणी को भारतीय मूल के व्यक्ति (People of Indian origin) के साथ वर्ष 2015 में विलय कर दिया।

अनिवासी भारतीय -

- Non-Resident Indian यानि अनिवासी भारतीय (NRI) ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो या तो भारतीय नागरिक भारतीय हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं।
- किसी भारतीय नागारिक को NRI तभी माना जाएगा, जब वह एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल-31 मार्च) के दौरान कम-से-कम 183 दिन भारत से बाहर रहा हो।
- NRI को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, एवं उन्हें अपने आय पर Income tax return का भुगतान करना भी आवश्यक है।

Result Mitra

- अगर बोर्ड NRI विदेशी नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता त्यागनी होगी, क्योंकि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है।

Result Mitra